प्रकरण संख्या 42/20 GCMS ID-2020/00136 ता0रजु 26.11.2020

न्यायालय जिला कलक्टर करौली

पीठासीन अधिकारी श्री सिद्धार्थ सिहाग, आई.ए.एस.

मोहम्मद इसराइल पुत्र कलाम निवासी वार्ड नं. 7 टोड़ाभीम जिला करौली –अपीलाण्ट

बनाम

निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी, एस.डी.एम., टोड़ाभीम जिला करौली राज.–रेस्पोण्डेण्ट

अपील विरुद्ध आदेश निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी टोड़ाभीम

निर्णय

दिनांक 27.11.2020

यह अपील राजस्थान नगरपालिका मतदाता पंजीकरण आदेश 1974 की धारा 17 के तहत प्रस्तुत की गई है। प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलार्थी का नाम अपीलार्थी के पिताजी ने प्रपत्र 5 भरकर अपीलार्थी का नाम वार्ड नं. 7 नगरपालिका टोड़ाभीम की वोटरलिस्ट से कटवा दिया है जिसके विरुद्ध अपीलार्थी द्वारा यह अपील पेश की गई है।

अपील अपीलाण्ट दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी की तलबी जरिये सम्मन नोटिस की गई। प्रत्यर्थी से अपीलोत्तर प्राप्त हुआ जो शामिल पत्रावली किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अपीलाण्ट ने अपील पेश कर निवेदन किया है कि अपीलाण्ट वार्ड नं. 7 नगर पालिका टोड़ाभीम का निवासी है। अपीलार्थी का नाम नगर पालिका टोड़ाभीम के वार्ड नं. 7 की मतदाता सूची के क्रमांक 20 पर दर्ज था जिसे अपीलार्थी के पिताजी श्री कलाम ने विपक्षी पार्टी से पैसे लेकर एवं सांठ गांठ कर प्रपत्र–5 भरकर अपीलार्थी का नाम मतदाता सूची से कटवा दिया है जिससे अपीलार्थी चुनाव लड़ने से वंचित रह गया है। अपीलार्थी चुनाव लड़ना चाहता है। मतदाता सूची की प्रति संलग्न पेश की है। अंत में अपील अपीलाण्ट स्वीकार फरमाने एवं अपीलाण्ट का नाम वार्ड नं. 7 नगरपालिका टोड़ाभीम की मतदाता सूची में जुडवाने का निवेदन किया है।

प्रत्यर्थी ने पत्रांक 3061 दिनांक 26.11.2020 से अवगत करवाया है कि श्री ईसराइल खान पुत्र कलाम निवासी वार्ड नं0 7 नगरपालिका टोडाभीम द्वारा प्रस्तुत अपील के संबंध में कार्यालय में प्राप्त प्रपत्र–5 इसराईल के पिता श्री कलाम पुत्र दीन मोहम्मद एवं दादा श्री दीन मोहम्मद द्वारा दिनांक 09.11.2020 को कार्यालय में प्रस्तुत कर वार्ड नं0 7 की मतदाता सूची भाग सं0 1 के क्रमांक 20 पर दर्ज अपने पुत्र ईसराइल का नाम मतदाता सूची से पृथक करने हेतु आवेदन किया एवं टिप्पणी की कि मेरा पुत्र वर्तमान में अपनी ससुराल महवा में रहता है इसलिये इसका नाम पृथक कर दिया जावे। प्रपत्र–5 प्राप्त होने के उपरांत कार्यालय से नोटिस जारी कर आवेदक श्री कलाम, श्री दीन मोहम्मद एवं श्री ईसराइल खान को नोटिस जारी कर तामील करवाकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 13.11.2020 को सुनवाई हेतु बुलाया गया। नियत दिनांक 13.11.2020 को सुनवाई हेतु कलाम, दीन मोहम्मद एवं ईसराइल खान में से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ। प्रपत्र–5 पर बीएलओ द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई कि प्रार्थी के घर जाकर जानकारी की गई, परिवार वालों ने बताया कि ईसराइल यहाँ नहीं रहता है, एवं मौके पर भी उपस्थित नहीं मिला। अतः आक्षेपकर्ता द्वारा प्रस्तुत प्रपत्र –5 स्वीकार किया जाकर मतदाता सूची वार्ड नं0 7, भाग सं0 1 के क्रमांक 20 से नाम विलोपित किये जाने हेतु प्रपत्र–5 निर्णित किया गया। (प्रपत्र–5 व निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न है) श्रीमान को अपील प्रस्तुत होने व जांच रिपोर्ट चाहे जाने पर तहसीलदार (सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी टोडाभीम) से जांच करवाई गई। तहसीलदार

जिला कलक्टर
करौली

टोडाभीम द्वारा मौके पर जाकर जांच किये जाने पर जांच रिपोर्ट में बताया कि अपीलार्थी इसराईल खान पुत्र अब्दुल कलाम वार्ड नं0 7 में अपने पिता के घर में ही निवास करता है। पिता पुत्र में अनबन के कारण मतदाता सूची से इसका नाम पृथक करवाने हेतु प्रपत्र–5 इसके पिता अब्दुल कलाम द्वारा प्रस्तुत किया गया था। अपीलार्थी वार्ड नं0 7 में ही निवास करता है। अतः इसका नाम मतदाता सूची में जोडा जाना उचित होगा। तहसीलदार (सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी टोडाभीम) से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार अपीलार्थी वार्ड नं0 7 में निवास करता है। अंत में अपीलार्थी का नाम वार्ड नं0 7 नगर पालिका टोड़ाभीम में जोडे जाने की अनुशंसा की गई है।

उपखण्ड अधिकारी टोड़ाभीम से प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी वार्ड नं. 7, नगर पालिका टोड़ाभीम में अपने पिताजी के घर में ही निवास करता है। अपीलार्थी की अपने पिताजी से अनबन के कारण अपीलार्थी का नाम वार्ड नं. 7, नगर पालिका टोड़ाभीम की मतदाता सूची से हटवाने हेतु अपीलार्थी के पिता द्वारा प्रपत्र–5 भरकर अपीलार्थी का नाम वार्ड नं. 7, नगर पालिका टोड़ाभीम की मतदाता सूची से हटवाया गया है। अतः अपीलार्थी का नाम वार्ड नं. 7, नगर पालिका टोड़ाभीम की मतदाता सूची में जोड़ा जाना उचित है।

अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अपीलाण्ट का नाम वार्ड नं. 7, नगर पालिका टोड़ाभीम की मतदाता सूची में जोड़े जाने के आदेश दिये जाते हैं। निर्णय की प्रति उभय पक्षकारान को प्रेषित हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 27.11.2020 को खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(सिद्धार्थ सिहाग)
जिला कलक्टर
करौली